

कार्यालय गुमला नगर परिषद्, गुमला

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गुमला नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत सभी शौचालय विहिन व्यक्तियों को स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु नगर परिषद्, गुमला द्वारा राशि उपलब्ध करा दी गई थी। जिसके आलोक में आपके द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य कराया जा चुका है। गुमला नगर परिषद् क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाना है। इस संदर्भ में शहरी नागरिकों को किसी प्रकार की आपत्ति है तो दिनांक 02.03.2017 तक कार्यालय अवधि में आपत्ति मांगी गई थी परन्तु दिनांक 16.03.2017 तक किसी भी प्रकार की आपत्ति संबंधी सूचना कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई।

अतः आज दिनांक 17.03.2017 दिन शुक्रवार को गुमला नगर परिषद् क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाता है।

ज्ञापांक 571 दिनांक 17/03/17

कार्यपालक पदाधिकारी

गुमला नगर परिषद्, गुमला।

प्रतिलिपि :-स्थानीय सम्पादक, प्रभात खबर/हिन्दुस्तान/दैनिक भास्कर/दैनिक जागरण/खबर मंत्र, गुमला को गुमला के संस्करण में कुल राशि रु० 3000=00 (तीन हजार) मात्र में एकदिवसीय प्रकाशनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी,

गुमला नगर परिषद्, गुमला।